

वस्तु सं.1502 (निर्णय के लिए)

अदालत संख्या 2

अनुभाग II- B

भारत का सर्वोच्च न्यायालय कार्यवाही के अभिलेख

विशेष अनुमति अपील याचिका (सी. आर. एल.)10051/2022

अतुलभाई विठ्ठलभाई भंडेरी

याचिकाकर्ता

बनाम

गुजरात राज्य

प्रतिवादी

माननीय न्यायाधीश अजय रस्तोगी और माननीय न्यायाधीश अहमदुल्लाह अमानुल्लाह द्वारा सुना गया:आईए नंबर 160204/2022-आक्षेपित की सी/सी दाखिल करने से छूट

निर्णय

आईए नंबर 160205/2022 ओ.टी. दाखिल करने से छूट)

के साथ

एसएलपी (सीआरएल) संख्या 331/2023 (II-बी)

(आईए संख्या 4409/2023 विवादित फैसले की सी/सी दाखिल करने से छूट आईए संख्या 4411/2023 ओटी दाखिल करने से छूट)

तारीख:04-05-2023 इन याचिकाओं को आज सुनवाई के लिए बुलाया गया था।

याचिकाकर्ताओं के लिए

श्री ई. सी. अग्रवाल, एओआर

श्री सुनील मुरारका, अधिवक्ता

श्री अंकुर सहगल, अधिवक्ता

श्री गुन्नम वेंकटेश राव, अधिवक्ता

सुश्री एस. लक्ष्मी अय्यर, अधिवक्ता

सुश्री अन्वेशा पाधी, अधिवक्ता

सुश्री नित्या रामकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री प्रद्युम्न गोहिल, अधिवक्ता

श्रीमती तरुणा सिंह गोहिल, एओआर

सुश्री रानू पुरोहित, अधिवक्ता

हस्ताक्षर सत्यापित नहीं है

डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित

श्री अलापति साहित्य कृष्ण, अधिवक्ता; सुश्री निधि मित्तल, अधिवक्ता

रश्मि ध्यानी

तारीख: 2023 05.04

18:25:14 IST

कारण:

प्रतिवादी के लिए श्री एस. वी. राजू, ए. एस. जी. श्री अंकित भाटिया, अधिवक्ता सुश्री मधुमिता केशवन, अधिवक्ता श्री हिताइथ राजा, अधिवक्ता श्री हर्ष पॉल, अधिवक्ता सुश्री स्वाति घिल्डियाल, ए. ओ. आर. सुश्री सैरिका राजू, अधिवक्ता श्री अन्नम वेंकटेश, अधिवक्ता सुश्री देवयानी भट्ट, अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार सिंह, अधिवक्ता

माननीय श्री न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने माननीय श्री न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और उनके आधिपत्य की खंडपीठ का फैसला सुनाया।

विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) संख्या 10051/2022

अनुमति दी गई

अपील का निपटारा रिपोर्ट करने योग्य हस्ताक्षरित निर्णय के संदर्भ में किया जाता है।

लंबित आवेदनों का निस्तारण कर दिया गया है।

विशेष अनुमति याचिका (सी. आर. एल.) सं. 331/2023

अनुमति दी गई

प्रतिवेदन योग्य हस्ताक्षरित निर्णय के संदर्भ में अपील की अनुमति दी जाती है।

अपीलकर्ता को ऐसे नियमों और शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए जो विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा उचित पाए जाएं।

लंबित आवेदनों का निस्तारण कर दिया गया है।

(रश्मि ध्यानी पंत) कोर्ट मास्टर

(रेनू बाला गम्भीर) कोर्ट मास्टर

(फाइल पर दो अलग-अलग रिपोर्ट करने योग्य हस्ताक्षरित निर्णय रखे गए हैं)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या 1390/2023

(@ विशेष अनुमति याचिका (सी.आर.एल.) सं. 10051/2022)

अतुलभाई विठ्ठलभाई भंडेरी

अपीलकर्ता III

बनाम

गुजरात राज्य

प्रतिवादी

निर्णय

अहसानउद्दीन अमानुल्लाह, न्यायाधीश

अनुमति दी गई

2. वर्तमान अपील अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय (इसके बाद "उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित) द्वारा 2021 के आपराधिक विविध आवेदन संख्या 22475 में पारित अंतिम निर्णय और दिनांक 07.09.2022 के आदेश (इसके बाद

"आक्षेपित निर्णय" के रूप में संदर्भित) के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना खारिज कर दी गई है।

वास्तविक प्रिज्म:

3. अपीलकर्ता, अन्य लोगों के साथ, प्राथमिकी आर. सी. आर. संख्या.आई-1120202186 जो गुजरात राज्य के "ए" डिवीजन पुलिस स्टेशन, जामनगर में 2020 की पंजीकृत है, में गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2015 (इसके बाद "जी. सी. टी. ओ. सी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 3 (1), 3 (2), 3 (3), 3 (4) और 3 (5) और धारा 4 तथा भारतीय दंड संहिता 1860 (इसके बाद "आई. पी. सी.". के रूप में संदर्भित) की धारा 384,385,386,387,506 (1), 506 (2), 507,201,120बी में आरोपी है। अपीलकर्ता को उक्त प्राथमिकी में आरोपी नंबर 4 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और कहा जाता है कि वह मुख्य आरोपी नंबर 1 जयसुख उर्फ जयेश मुलजीभाई रणपारा (पटेल) के साथ मिलकर पीड़ित को डराने और धमकाने में शामिल था, जो एक संगठित अपराध सिंडिकेट चला रहा था। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर लोगों को डरा-धमकाकर पैसे ऐंठना और जमीन हड़पना था।

एफआईआर के विवरण के अनुसार, उक्त आरोपी नंबर 1 के खिलाफ 59 मामले दर्ज हैं। यह आरोप है कि अपीलकर्ता ने पीड़ित और संबंधित गवाहों को सर्वेक्षण संख्या 961 से संबंधित भूमि सौदे को रद्द करने या अपीलकर्ता को 1,00,00,000/- रुपये (एक करोड़ रुपये) की राशि का भुगतान करने की धमकी दी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। आरोपी नंबर 1 पर पीड़िता को धमकाने का आरोप है. अपीलकर्ता की भूमिका यह है कि वह पीड़ित द्वारा जबरन वसूली की मांगों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आरोपी नंबर 1 की ओर से पीड़ित को डराने और धमकाने में शामिल था। यह आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ता संगठित अपराधों के धन से प्राप्त संपत्ति का मालिक है। इसके अग्रेतर यह आरोप लगाया जाता है कि जांच से यह पता चलता है कि अपीलकर्ता शहर में पीड़ित से जबरन वसूली की गई राशि एकत्र करने में सीधे शामिल था, और वह ऐसी जानकारी देने में भी शामिल पाया गया है जो अपराध को उसकी गतिविधियों में सहायता करने की संभावना है, जिससे गिरावट की कार्रवाइयों को बढ़ावा मिलता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुतियाँ:

4. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आठ अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट हैं जिनमें उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है, जिनमें से सात वर्ष 2015 से पहले की हैं और एक वर्ष 2019 की है। यह तर्क दिया गया कि जिस धारा (धाराओं) के तहत संबंधित प्राथमिकी दर्ज की गई है, वह किसी भी संगठित अपराध में उसकी संलिप्तता का संकेत नहीं देती है। और इस प्रकार, बिना किसी आधार के, उन्हें वर्तमान मामले में आरोपी बनाया गया है।

5. विद्वान वकील ने आगे कहा कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार, अपीलकर्ता ने आरोपी नंबर 1, शिकायतकर्ता और भगवानजीभाई कंजारिया के बीच टेलीफोन पर बातचीत की व्यवस्था की थी; शिकायतकर्ता द्वारा न तो

प्लॉट का डीड रद्द करने और न ही 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) की कथित जबरन वसूली राशि का भुगतान करने पर, अपीलकर्ता ने आरोपी नंबर 1 के साथ मिलकर एक साजिश रची और छह लोगों को शिकायतकर्ता के आवास पर भेजा और उन्होंने तीन राउंड गोलियां चलाईं।

विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यह गलत है। प्रस्तुतीकरणकरण के अनुसार, पुलिस के समक्ष शिकायत देने वाले चार व्यक्तियों ने, प्राथमिकी दर्ज होने के अगले ही दिन, कहा था कि अपीलकर्ता ने आरोपी नंबर 1 को कोई टेलीफोन कॉल नहीं किया था। विद्वान वकील ने इस न्यायालय का उल्लेख गुजरात राज्य बनाम संदीप ओमप्रकाश गुप्ता, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1727 दिनांक 15.12.2022 के निर्णय में किया, जिसमें प्रासंगिक भाग पैरा ग्राफ संख्या 49,56 और 57 हैं, जिसमें महाराष्ट्र राज्य बनाम शिवाजी उपनाम शिवाजी रामाजी सोनावने, (2015) 14 एस. सी. सी. 272 में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित उक्ति को दोहराया है, जिसमें कहा है कि "संगठित अपराध" के अपराध को पिछले दस वर्षों में एक से अधिक आरोप पत्रों द्वारा प्रमाणित गैरकानूनी गतिविधि जारी रखने के अलावा निरंतरता की कम से कम एक घटना द्वारा गठित किया जा सकता है।

6. इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले से पहले आखिरी मामला, अपीलकर्ता के खिलाफ 14.11.2019 को दर्ज किया गया था, यानी, गुजरात राज्य में जीसीटीओसी अधिनियम लागू होने से पहले (चूंकि जीसीटीओसी अधिनियम 01.12.2019 से गुजरात राज्य में लागू हुआ)। विद्वान वकील ने आगे कहा कि सोलह आरोपियों में से चार आरोपी फरार हैं और कुल बारह आरोपियों पर आरोप पत्र दायर किया गया है, जिनमें से छह आरोपी जमानत पर हैं। इस प्रकार, समता के आधार पर भी, यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता को भी जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

प्रतिवादी-राज्य की प्रस्तुतियाँ:

7. राज्य की ओर से पेश भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एसवी राजू का कहना है कि अपीलकर्ता-अभियुक्त आरोपी नंबर 1 जयसुख उर्फ जयेश मुलजीभाई रणपारा (पटेल) से अच्छी तरह परिचित था। श्री राजू ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता 2015 के नगर निगम चुनाव के दौरान आरोपी नंबर 1 जयसुख उर्फ जयेश मुलजीभाई रणपारा (पटेल) का करीबी बन गया और पटेल आरक्षण आंदोलन के दंगों में आरोपी था।

यह तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले के अलावा, अपीलकर्ता के खिलाफ आठ अन्य मामले दर्ज किए गए हैं और वह सर्वेक्षण संख्या 961 से संबंधित भूमि सौदे को रद्द किए जाने के संबंध में झूठी खबर फैलाकर अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है; लेकिन जब उनके प्रयास विफल हो गए, तो गवाहों को जमीन सौदा रद्द करने के लिए डराया

गया।आगे यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता ने 01.11.2019 को आरोपी नंबर 1 और पीडब्ल्यू नंबर 5 और 6 और अन्य के बीच पहली बैठक की सुविधा प्रदान की और जब जबरन वसूली का भुगतान नहीं किया गया, तो एक और बैठक आयोजित की गई जिसमें रु 2,19,00,000/- (दो करोड़ और उन्नीस लाख रुपये) का भुगतान संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्यों को किया गया था। फिर, 20.02.2022 को अपीलकर्ता की गिरफ्तारी के बाद, उसके बेटे पर पीडब्लू 5 और आरोपी नंबर 1 के बीच कॉल की सुविधा देने और 25,00,000/-रुपये (पच्चीस लाख रुपये) की उगाही करने का आरोप है। यह प्रस्तुत किया गया था कि अदालत संरक्षित गवाहों की जांच के बाद ही जमानत की प्रार्थना पर विचार कर सकती है, जिनके बयान सीधे तौर पर अपराध में अपीलकर्ता की संलिप्तता साबित करते हैं।

इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि जमानत पर रिहा किए गए छह सह-आरोपियों में से पांच डिफॉल्ट जमानत पर बाहर हैं, और केवल एक आरोपी ने नियमित जमानत हासिल की है।

विश्लेषण, तर्क और निष्कर्ष:

8. प्रतिद्वंद्वी तर्कों की जांच करने के बाद, न्यायालय ने वर्तमान में जीसीटीओसी अधिनियम की प्रयोज्यता से संबंधित कानूनी पहलू में जाना आवश्यक नहीं समझा, क्योंकि वर्तमान अपील केवल लंबित रहने के दौरान जमानत मांगने के उद्देश्य से दायर की गई है।

9. यदि अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई अन्य मामला नहीं होता और कम से कम प्रथमदृष्टया किसी भी अपराध में उसकी नियमित भागीदारी का संकेत देने के लिए कोई सामग्री नहीं होती, तो न्यायालय उसकी प्रार्थना पर विचार कर सकता था, लेकिन उसकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए, हम अभी उसके पक्ष में विवेक का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

जब हम विवेक की बात करते हैं, तो हमारे मन में "न्यायिक विवेक" होता है जैसा कि गुडिकंती नरसिम्हुलु बनाम लोक अभियोजक, (1978) 1 एससीसी 240 में बताया गया है:

"3. तो फिर, इस जमानत के संदर्भ में "न्यायिक विवेक" क्या है?बेन जामिन कार्डोजो के सुरुचिपूर्ण शब्दों में [[न्यायिक प्रक्रिया की प्रकृति-येल विश्वविद्यालय प्रेस (1921)]]:

"न्यायाधीश, भले ही वह स्वतंत्र हो, फिर भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है।उसे आनंद में नवाचार नहीं करना है।वह सुंदरता या अच्छाई के अपने आदर्श की खोज में स्वेच्छा से घूमने वाला शूरवीर नहीं है।उन्हें अपनी प्रेरणा समर्पित सिद्धांतों से लेनी है।उसे आक्षेपिक भावना, दिखावटी और अनियंत्रित परोपकार के आगे झुकना नहीं है।उसे परंपरा द्वारा निर्मित, सादृश्य द्वारा व्यवस्थित, प्रणाली द्वारा अनुशासित और "सामाजिक जीवन में व्यवस्था की मौलिक आवश्यकता" के अधीन विवेक का प्रयोग करना है।समस्त अन्तःकरण में पर्याप्त व्यापक विवेक का क्षेत्र बना हुआ है।"

फिर भी लॉर्ड कैमडेन की तीखी शर्तों पर ध्यान देना उपयोगी है कि [1 बोवु, लॉ डिक्ट, रॉल्स का तृतीय संशोधन 885 राज्य न्यायपालिका के जूडी सियाल विवेकाधिकार नेशनल कॉलेज, रानो, नेवादाप में उद्धृत किया गया है 14] "एक न्यायाधीश का विवेक तानाशाहों का कानून है: यह हमेशा अज्ञात होता है, यह अलग-अलग पुरुषों में अलग होता है; यह आकस्मिक है, और संविधान, भावना और जुनून पर निर्भर करता है। सर्वोत्तम में, यह कई बार मनमौजी होती है; सबसे बुरी स्थिति में, यह हर बुराई, मूर्खता और जुनून है जिसके लिए मानव स्वभाव उत्तरदायी है।

4. कुछ न्यायविदों ने "न्यायिक विवेक" शब्द को गलत नाम माना है।

फिर भी, विवेक निहित करना हमारी न्यायाधीशिक प्रणाली का अनकहा लेकिन अपरिहार्य, मौन आदेश है, और जो लोग इसका प्रयोग करते हैं, वे स्मरण रखेंगे कि विवेकाधिकार, जब न्याय के न्यायालय में लागू होता है, तो इसका मतलब कानून द्वारा निर्देशित ध्वनि विवेक होता है। इसे नियम द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, न कि हास्य द्वारा; यह मनमाना, अस्पष्ट और काल्पनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि कानूनी और नियमित होना चाहिए।

एक न्यायाधीश के विवेक के लिए एक अपील उसकी न्यायिक अंतरात्मा के लिए एक अपील है। विवेक का प्रयोग कानून के स्थापित सिद्धांतों के विरोध में नहीं, बल्कि उनके अनुरूप किया जाना चाहिए। [न्यायिक विवेक, (पूर्वोक्त) पृ. 33] "(जोर दिया गया)

10. तथ्य यह है कि बारह आरोपपत्रित अभियुक्तों में से छह सह-अभियुक्तों को जमानत नहीं दी गई है, पांच ने डिफॉल्ट जमानत का लाभ उठाया है और मात्र एक नियमित जमानत पर है, इसने भी इस न्यायालय को हस्तक्षेप न करने के लिए मना लिया है। हमने लगाए गए आरोपों पर भी विचार किया है और अदालत को दिखाए गए गवाहों के बयानों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। निरंजन सिंह बनाम प्रभाकर राजाराम खरोटे, (1980) 2 एससीसी 559 में, इस न्यायालय ने कहा:

"3. जमानत आवेदनों पर आदेश पारित करते समय साक्ष्य की विस्तृत जांच और गुण-दोष के विस्तृत प्रलेखन से बचा जाना चाहिए। किसी भी पक्ष को यह धारणा नहीं होनी चाहिए कि उनके मामले में पूर्वाग्रह रहा है।

प्रथमदृष्टया किसी मामले के बारे में संतुष्ट होने की आवश्यकता होती है, लेकिन यह आदेश में गुण-दोषों के विस्तृत अन्वेषण के समान नहीं है। (जोर दिया गया)

11. विलास पांडुरंग पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2012) 8 एससीसी 795 में, इस न्यायालय ने कहा, ".....इसके अलावा, जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय, अभिलेख पर साक्ष्य और अन्य सामग्री की सराहना की गुंजाइश सीमित है। अदालत से अभिलेख पर साक्ष्य के आलोचनात्मक विश्लेषण में शामिल होने की उम्मीद नहीं की जाती है। हम इन

मामलों में उजागर किए गए कानून के साथ स्पष्ट रूप से सहमत हैं। हम जानबूझकर मामले के गुण-दोष पर अपने विचारों को विस्तार से बताने से बचते हैं।

12. जहाँ तक समानता का संबंध है, हमें मात्र रमेश भवन राठौड़ बनाम विशनभाई हीराभाई मकवाना (कोली), (2021) 6 एस. सी. सी. 230 से उपयुक्त टिप्पणियों को फिर से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जिन पर हम ध्यान देते हैं:

26. जमानत देते समय समानता का ध्यान अभियुक्त की भूमिका पर केंद्रित होना चाहिए। मात्र यह अवलोकन करना कि एक अन्य अभियुक्त, जिसे जमानत दी गई थी, उसी तरह के हथियार से लैस था, यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि समानता के आधार पर जमानत देने का मामला स्थापित किया गया है या नहीं। समता के पहलू को तय करने में आरोपियों से जुड़ी भूमिका, घटना और पीड़ितों के संबंध में उनकी स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने एक सरलीकृत मूल्यांकन पर समानता के आधार पर आगे कदम बढ़ाया है, जो फिर से कानून के तहत पारित नहीं हो सकता है। (जोर दिया गया)

13. वर्तमान समय के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह न्यायालय अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की अनुमति देने के लिए इच्छुक नहीं है। तदनुसार, जमानत की प्रार्थना खारिज की जाती है।

14. हालाँकि, गुजरात राज्य की ओर से रुख यह है कि संरक्षित गवाहों की जांच के बाद ही अपीलकर्ता की जमानत की प्रार्थना पर विचार किया जा सकता है। इस संदर्भ में, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने संकेत दिया है कि संरक्षित गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए छह महीने का समय दिया जाना चाहिए।

15. ऐसे प्रकाश में, यह देखा गया है कि उक्त संरक्षित गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद, अपीलकर्ता जमानत के लिए अपनी याचिका को नवीनीकृत करने के लिए स्वतंत्र है, यदि ऐसी सलाह दी जाती है।

16. अपील का निपटारा पूर्ववत् स्वतंत्रता के साथ तदनुसार किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, तो अभिलेखों में दर्ज किए जाते हैं।

न्यायाधीश [अजय रस्तोगी]

न्यायाधीश [अहसानुद्दीन अमानुल्लाह]

नई दिल्ली 4 मई, 2023 भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या 1391/2023

( @ विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) क्रमांक 331/2023)

मुकेशभाई वल्लभभाई अभंगी

अपीलकर्ता

बनाम

गुजरात राज्य

प्रतिवादी

निर्णय

अहसानउद्दीन अमानुल्लाह, न्यायाधीश।

अनुमति दी गई।

2. वर्तमान अपील अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय (इसके बाद "उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित) द्वारा 2021 के आपराधिक विविध आवेदन संख्या 13783 में पारित अंतिम निर्णय और दिनांक 28.11.2022 के आदेश (इसके बाद "आक्षेपित निर्णय" के रूप में संदर्भित) के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना खारिज कर दी गई है।

वास्तविक प्रिज्म:

3. अपीलकर्ता, अन्य लोगों के साथ, प्राथमिकी आर. सी. आर. संख्या.आई-1120202186/2020 जो गुजरात राज्य के "ए" डिवीजन पुलिस स्टेशन, जामनगर में 2020 की पंजीकृत है, में गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2015 (इसके बाद "जी. सी. टी. ओ. सी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 3 (1), 3 (2), 3 (3), 3 (4) और 3 (5) और धारा 4 तथा भारतीय दंड संहिता 1860 (इसके बाद "आई. पी. सी.". के रूप में संदर्भित) की धारा 384,385,386,387,506 (1), 506 (2), 507,201,120बी में आरोपी है।वर्तमान अपीलकर्ता को उक्त प्राथमिकी में आरोपी नंबर 8 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

4. यह मामला प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर दर्ज किया गया था कि आरोपी नंबर 1 जयसुख मुलजीभाई रणपरियाय उर्फ जयेश पटेल गुजरात राज्य के जामनगर शहर में एक संगठित अपराध सिंडिकेट चला रहा था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जबरन वसूली, जमीन पर कब्जा करना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, मनी-लॉन्ड्रिंग आदि शामिल थे।

5. यह पता चला कि इस तरह के उद्देश्य से, मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए, उसने भूमि मालिकों और रियल एस्टेट एजेंटों/डेवलपर्स को डराने-धमकाने और उन्हें शारीरिक चोट पहुंचाने और उनके जीवन को खतरे में डालने की धमकी दी। यह भी पता चला कि विभिन्न व्हाट्सएप कॉलों को इंटरसेप्ट किया गया था, जिससे अन्य व्यक्तियों के नामों का खुलासा हुआ, जो सह आरोपी के रूप में सामने आए हैं। अपीलकर्ता जामनगर में कई भूमि विकास परियोजनाओं में शामिल एक निर्माण कंपनी शिवद हरा बिल्डकॉन से जुड़ा हुआ है। सीक्रेट वित्नेस 11 (बाद में 11 एसडब्ल्यू 11 के रूप में संदर्भित) द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि जे.जे. जसोदानाथ योजना के संबंध में 16,00, 00,000/- रुपये (सोलह करोड़ रुपये) का ऋण चुकाने के लिए, अपीलकर्ता ने अपने कार्यालय के पास एक संपत्ति की पेशकश की थी। जब एस. डब्ल्यू. 11 ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, तो अगले ही दिन, अपीलकर्ता ने एस. डब्ल्यू. 11 पर दबाव बनाने के लिए आरोपी नंबर 1 को शामिल कर लिया।

इसके बाद, एस. डब्ल्यू. 11 को संगठित अपराध सिंडिकेट द्वारा प्रस्ताव का पता लगाने के लिए धमकी दी गई और दबाव डाला गया, जिसके तहत लगभग 50,000 वर्ग फुट, जिसमें अपीलार्थी की जे. जे. जसोदानाथ योजना से 26,000 वर्ग फुट और एक अश्विन विरानी (पी. डब्ल्यू. 85), जो जय हरि-3 (खोडल विला) योजना चला रहे थे, से 24,000 वर्ग फुट शामिल थी; जिसे एस. डब्ल्यू. 11 को वापस दिखाया जाना था। लेकिन यह आरोप लगाया गया है कि एसडब्ल्यू 11 को बाद में संगठित अपराध सिंडिकेट के नेता (अभियुक्त संख्या 1) के लेनदारों, या अपीलकर्ता-अभियुक्त संख्या 8 के लेनदारों, या ज्ञात व्यक्तियों के साथ लगभग 18 अलग-अलग बिक्री कार्यों को निष्पादित करने की धमकी दी गई थी। वास्तव में, यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता ने उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों से 50,000 वर्ग फुट भूमि की जबरन वसूली की थी।

अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुतीकरण:

6. यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने वर्ष 2014 में अपीलकर्ता के खिलाफ दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट पर गलती से भरोसा किया था, इस तथ्य के बावजूद कि इसे उच्च न्यायालय ने दिनांक 24.12.2014 के आदेश के तहत रद्द कर दिया था।

इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि जिस घटना के लिए 2014 की प्राथमिकी दर्ज की गई थी, वह व्यक्तिगत प्रकृति की थी और अपीलकर्ता पर किसी भी तरह से किसी भी अपराध सिंडिकेट से संबंधित होने का कोई आरोप नहीं था। यह बताया गया कि उनके विरुद्ध कोई आरोप-पत्र दायर नहीं किया गया था।

7. विद्वान वकील ने अदालत का ध्यान गुजरात राज्य बनाम संदीप ओमप्रकाश गुप्ता, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1727, दिनांक 15.12.2022 की ओर आकर्षित किया, जिस में पैराग्राफ संख्या 49,56 और 57 में प्रासंगिक है, जो महाराष्ट्र राज्य बनाम शिव उर्फ शिवाजी रामाजी सोनावाने, (2015) 14 एससीसी 272 की पुष्टि करता है, जिसमें कहा गया है कि "संगठित अपराध" की रक्षा के लिए गैरकानूनी गतिविधि जारी रखने के अलावा निरंतरता की कम से कम एक घटना का गठन किया गया है। पिछले दस वर्षों में एक से अधिक आरोपपत्रों द्वारा इसका प्रमाण दिया गया है।

8. विद्वान वकील ने इस न्यायालय द्वारा 2022 की एसएलपी (सीआरएल.) संख्या 1815 में 'मोहम्मद इलियास मोहम्मद बिलाल कपाड़िया बनाम गुजरात राज्य' शीर्षक से पारित दिनांक 30.05.2022 के निर्णय का भी उल्लेख किया, जिसमें जी. सी. टी. ओ. सी. अधिनियम की धारा 2 (सी) भी शामिल थी और इस आधार पर जमानत दी गई थी कि "एक ऐसी गतिविधि के संबंध में मात्र एक आरोप पत्र दायर किया गया था जिसके बारे में कहा जा सकता है कि यह अपीलकर्ता/आवेदक द्वारा किया गया था" जो अपीलार्थी/आवेदक द्वारा ऐसे सिंडिकेट की ओर से एक संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में जीसीटीओसी अधिनियम की धारा 2 (सी) के तहत "एक से अधिक आरोप पत्र" की आवश्यकता के विपरीत है।

प्रतिवादी राज्य की प्रस्तुतियाँ:

9. राज्य की ओर से उपस्थित भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एसवी राजू ने कहा कि अपीलकर्ता आरोपी नंबर 1 जयसुख उर्फ जयेश मुलजीभाई रणपारा (पटेल) के साथ निकट संपर्क में था और पूछताछ के दौरान, सह-अभियुक्तों ने कहा है कि अपीलकर्ता जयसुख उर्फ जयेश मुलजीभाई रणपारा (पटेल) को डेवलपर्स की परियोजनाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करता था और इस प्रकार, जबरन वसूली की पूरी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता था।

यह अग्रेतर प्रस्तुत किया गया कि जाँच के दौरान अपीलकर्ता से जब्त किए गए मोबाइल फोन से पता चला कि वह संगठित अपराध सिंडिकेट के संपर्क में था। यह प्रस्तुत किया गया कि आक्षेपित निर्णय में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

विश्लेषण, तर्क और निष्कर्ष:

10. हमारे विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। गुडीकांती नरसिम्हलु बनाम लोक अभियोजक, (1978) 1 एस. सी. सी. 240 से मार्गदर्शन मिल रहा है:

"3. फिर, इस जमानत के संदर्भ में "न्यायिक विवेक" क्या है?बेंजामिन कार्डोजो [न्यायिक प्रक्रिया की प्रकृति येल विश्वविद्यालय प्रेस (1921)] के सुरुचिपूर्ण शब्दों में:

"न्यायाधीश, भले ही वह स्वतंत्र हो, फिर भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। उसे अपनी इच्छा से कुछ नया नहीं करना है। वह एक शूरवीर नहीं है जो सुंदरता या अच्छाई के अपने आदर्श की खोज में अपनी इच्छानुसार घूम रहा है। उसे पवित्र सिद्धांतों से प्रेरणा लेनी है। उसे अनैच्छिक भावना, अस्पष्ट और अनियंत्रित परोपकार के आगे झुकना नहीं है। उसे परंपरा द्वारा सूचित, सादृश्य द्वारा व्यवस्थित, प्रणाली द्वारा अनुशासित और "सामाजिक जीवन में व्यवस्था की मौलिक आवश्यकता" के अधीन विवेक का प्रयोग करना है।

समस्त अन्तःकरण में पर्याप्त व्यापक विवेक का क्षेत्र बना हुआ है।//

फिर भी, लॉर्ड कैमडेन की तीखी शर्तों पर ध्यान देना उपयोगी है कि [1 बोवू, लॉ डिक्ट., रॉल्स 'III रिविजनप.885, ज्यूडिशियल डिस्ट्रिक्शन नेशनल कॉलेज ऑफ द स्टेट ज्यूडिशियरी, रानो, नेवाडाप.14 में उद्धृत] "एक न्यायाधीश का विवेक अत्याचारियों का कानून है: यह हमेशा अज्ञात होता है, यह अलग-अलग पुरुषों में अलग होता है; यह आकस्मिक है, और संविधान, स्वभाव और जुनून पर निर्भर करता है। यह अक्सर मनमौजी होता है; सबसे खराब में, यह हर बुराई, मूर्खता और जुनून है जिसके लिए मानव प्रकृति उत्तरदायी है।

4. कुछ न्यायविदों ने "न्यायिक विवेक" शब्द को मिथ्या माना है। हालाँकि, विवेक का निहित होना हमारी न्यायिक प्रणाली का अनकहा लेकिन अपरिहार्य, मूक आदेश है, और जो लोग इसका प्रयोग करते हैं, वे स्मरण रखेंगे कि यह आदेश, जब न्याय के न्यायालय में लागू किया जाता है, तो इसका मतलब कानून द्वारा निर्देशित ध्वनि विवेक होता है। इसे नियम द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, न कि हास्य द्वारा; यह मनमाना, अस्पष्ट और काल्पनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि कानूनी और नियमित होना चाहिए। एक न्यायाधीश के विवेक के लिए एक अपील उसकी न्यायिक अंतरात्मा के लिए एक अपील है। विवेक का प्रयोग कानून के स्थापित सिद्धांतों के विरोध में नहीं, बल्कि उनके अनुसार किया जाना चाहिए। [न्यायिक विवेक, (पूर्वोक्त)पृ.33] " (जोर दिया गया)

11. किसी भी पक्ष पर पक्षपात न करने के लिए, हम अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के प्रचुर संदर्भ से बच रहे हैं।

निरंजन सिंह बनाम प्रभाकर राजाराम खरोटे, (1980) 2 2 एस. सी. सी. 559 में, इस न्यायालय ने कहा:

"3. जमानत आवेदनों पर आदेश पारित करते समय साक्ष्य की विस्तृत जांच और गुण-दोष के विस्तृत प्रलेखन से बचना चाहिए। किसी भी पक्ष को यह धारणा नहीं होनी चाहिए कि उसका मामला पूर्वाग्रहपूर्ण रहा है। प्रथमदृष्टया किसी मामले के बारे में संतुष्ट होने की आवश्यकता होती है, लेकिन यह आदेश में गुण-दोषों के विस्तृत अन्वेषण के समान नहीं है।" (जोर दिया गया)

12. विलास पांडुरंग पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2012) 8 एससीसी 795 में, इस न्यायालय ने कहा, "..... इसके अलावा, जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय, रिकॉर्ड पर साक्ष्य और अन्य सामग्री की सराहना की गुंजाइश सीमित है। अदालत को अभिलेख पर साक्ष्य के आलोचनात्मक विश्लेषण में शामिल होने का अधिकार नहीं है। "

13. इन मामलों में उजागर किए गए कानून के साथ सम्मानजनक सहमति होने के कारण, हम गुण-दोष पर अपने विचारों को विस्तार से बताने से बचते हैं।

14. मामले पर विचार करने के बाद, अदालत ने पाया कि अपीलकर्ता को जमानत देने पर विचार करने के उद्देश्यों के लिए, इस स्तर पर, यह तथ्य कि वर्तमान मामले से पहले मात्र एक ही मामला था, वह भी वर्ष 2014 का और इसकी प्राथमिकी को उच्च न्यायालय द्वारा आरोप-पत्र दायर करने से पहले ही खारिज कर दिया गया था, यहां तक कि तर्क के लिए भी, यदि स्वीकार किया जाता है, तो अपीलकर्ता की मदद करता है और संतुलन को उसके पक्ष में झुकाता है। अपीलकर्ता जमानत देने के लिए प्रथमदृष्टया मामला बनाने में सफल रहा है।

15. अपीलकर्ता 16.10.2020 अर्थात् ढाई साल से अधिक समय से जेल में है। माना कि यह पहली बार है, जब उन पर इस तरह के अपराधों का आरोप लगाया गया है।

16. तदनुसार, अपीलकर्ता को ऐसे नियमों और शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए जो विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा उचित पाए गए हों।

17. राज्य के हितों की रक्षा करने के लिए हम निम्नलिखित शर्तों को भी लागू करते हैं:

I. अपीलकर्ता प्रत्येक सोमवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच जांच अधिकारी को रिपोर्ट करेगा। II. अपीलकर्ता अपने अच्छे व्यवहार के संबंध में विचारण न्यायालय को एक वचन पत्र देगा।

III. अपीलकर्ता किसी भी तरह से गवाहों को प्रभावित करने या अभिलेख के साथ छेड़छाड़ करने का प्रलोभन नहीं देगा। IV. अपीलार्थी का पासपोर्ट, यदि पहले से सरेंडर नहीं किया गया है, तो विचारण न्यायालय को सरेंडर कर दिया जाएगा।

18. बॉन्ड या उपक्रम के नियमों और शर्तों का कोई भी उल्लंघन प्रतिवादी को अपीलकर्ता की जमानत रद्द करने के लिए तेजी से कदम उठाने का अधिकार देगा।

19. तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है। इस संदर्भ में कोई भी लंबित आवेदन बंद कर दिए गए हैं।

न्यायाधीश [अजय रस्तोगी]

न्यायाधीश [अहसानुद्दीन अमानुल्लाह]

नई दिल्ली 4 मई, 2023

यह अनुवाद मेरे द्वारा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया गया है।  
माणिक पांडे, सहायक समीक्षा अधिकारी